न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
009/2022 (रा.अ.) (GCMS 2022/135)	13.05.2022	20.02.2024

अनवान

भगवान लाल पिता कजोड जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थी

उपस्थिति :– रमेश चन्द्र शर्मा — अपीलार्थी
भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) — प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय व आदेश न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 1113/2021–2022 आदेश दिनांक 23.03.2022

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध प्रत्यर्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश न्याय नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 पत्रावली मुकाम चित्तौड़गढ़ पर पेश है। पत्रावली पेश हुई अतिक्रमी अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवार हल्का घोसुण्डा ने उक्त विपक्षी के विरूद्ध रिपोर्ट पेश की है कि इन्होने मौजा घोसुण्डा की किस्म भूमि बिलानाम की आराजी नम्बर 819 मीन रकबा 0.10 हैक्टेयर पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है अतः अतिक्रमण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है एवं लगान एक रूपये के 50 गुणा शास्ति आरोपित करते हुए दण्डित किया जाता है व आराजी से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भौतिक रूप से बेदखल करने का आदेश पारित किये जाते है वास्ते बेदखली एवं वसूली पटवार हल्का व मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावें। जिससे अपीलांट व्यथीत होकर यह अपील अन्दर अवधि पेश है। अपीलार्थी दिनांक 11.03.2022 को उपस्थित हुआ जो सबूत हेतु अवसर चाहा गया। अपीलार्थी ने दिनांक 23.03.2022 को जवाब प्रस्तुत किया जो तहसीलदार साहब ने शामिल फाईल करने का आदेश दे रखा है उसके बावजूद भी फर्दे काम पर दिनांक 23.03.2022 को अतिक्रमी को अनुपस्थित बताकर अतिक्रमी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही फरमा दी जो भी गलत है। अंत में प्रार्थना की गई कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 23.03.2022 निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रत्यर्थी की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/राजस्व/2024/06 दिनांक 16.01.2024 से से उनकी मूल पत्रावली संख्या 1113/2021 निर्णय दिनांक 23.03.2022 अनवानी सरकार बनाम भगवान लाल पिता कजौड कुम्हार निवासी घोसुण्डा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है।

अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद पेश है। दिनांक 30.01.2024 को राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण में सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकरण में उभयपक्ष की सहमति से स्थगन प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही ड्रॉप करते हुए सीधे बहस पत्रावली हेतु रखा गया।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश न्याय नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 पत्रावली मुकाम चित्तौड़गढ़ पर पेश है। पत्रावली पेश हुई अतिक्रमी अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवार हल्का घोसुण्डा ने उक्त विपक्षी के विरूद्ध रिपोर्ट पेश की है कि इन्होने मौजा घोसुण्डा की किस्म भूमि बिलानाम की आराजी नम्बर 819 मीन रकबा 0.10 हैक्टेयर पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है अतः अतिक्रमण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है एवं लगान एक रूपये के 50 गुणा शास्ति आरोपित करते हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दण्डित किया जाता है व आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने का आदेश पारित किये जाते है वास्ते बेदखली एवं वसूली पटवार हल्का व मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावें। जिससे अपीलांट व्यथीत होकर यह अपील अन्दर अवधि पेश है।

इसके जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली में बताया कि विवादित आराजीयात राजकीय भूमि दर्ज अभिलिखित है एवं अपीलांट का कब्जा राजकीय भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखता है, जिससे अपीलांट की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। प्रचलित नियमों के अनुसार राजकीय भूमि आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये, ऐसी स्थिति में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अतः तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है, एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का निवेदन की ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि अपीलार्थी दिनांक 11.03.2022 को उपस्थित हुआ जो सबूत हेतु अवसर चाहा गया। अपीलार्थी ने दिनांक 23.03.2022 को जवाब प्रस्तुत किया जो तहसीलदार साहब ने शामिल फाईल करने का आदेश दे रखा है उसके बावजूद भी फर्दे काम पर दिनांक 23.03.2022 को अतिक्रमी को अनुपस्थित बताकर अतिक्रमी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही फरमा दी जो भी गलत है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 23.03.2022 निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। इसी ईश्तुदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का बागौर अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ‘‘**अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.03.2022 विधि अनुसार पारित किया गया है या नहीं, अगर नहीं तो निर्णय क्या होगा ?''

अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि :–

91. Unauthorlsed occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। हमने राजस्व विधियों का गहनता पूर्वक चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। आराजीयात जैरबहस बिलानाम दर्ज रेकार्ड है जिसके हितों की रक्षा करने का भार विधि अनुसार तहसीलदार में निहित है एवं पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रारम्भ करते हुए अपीलार्थी को विधि अनुसार नोटिस प्रेषित कर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जिसकी पुष्ठि अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली से होती है। इससे यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही करके विधिक प्रावधानों के तहत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा स्वयं अतिक्रमण किया जाना अपील मेमों में अंकित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने जवाब के माध्यम से इन्द्राज दुरूस्ती के तथ्य को उठाया गया है एवं सेटलमेंट से नक्शे में त्रुटि होना अंकित किया है। इन्द्राज दुरूस्ती के तथ्य हस्तगत प्रकरण में देखा जाना उचित नहीं है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत आराजीयात राजकीय भूमि दर्ज है। इसके संबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही किये जाने बाबत् संबंधित तहसीलदार को विधि अनुसार शक्तियां प्राप्त है ताकि राजकीय भूमि पर अवैधानिक/जबरन/कब्जे/अतिक्रमण को रोका जा सके, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 2(44) अनुसार अतिक्रमी करार दिया जाना उचित प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

साक्ष्य एवं दस्तावेजात के परिशीलन से निर्णय के बिन्दु पर विचार किये जाने पर यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.03.2022 में किसी भी प्रकार से कोई विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.03.2022 विधि सम्मत होकर इसमे किसी प्रकार के संशोधन एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.03.2022 संपुष्ट किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 009/2022(रा.अ.) अनवानी भगवानलाल बनाम सरकार अपील अपीलार्थी गुणावगुण पर सारहीन एवं बलहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 1113/2021 निर्णय दिनांक 23.03.2022 अनवानी सरकार बनाम भगवानलाल को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **20.02.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official